

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 1976/माघ 8, 1897

No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 1976/MAGHA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1976

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, namely—

1 (1) This Order may be called the Fertiliser (Movement Control) 2nd (Amendment) Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, after serial No. 44 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

[No. 10-10/75-STU]

(1)

(2)

"45

Mangalore Chemicals & Fertilisers
Limited, Bangalore".

[No F 16-10/75-STU]

ANNA R MALHOTRA, It. Secy

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1976

सांकांनि० 49(अ).—आवश्यक वस्तु, अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश देती है:—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (संचलन नियंत्रण) द्वितीय (संशोधन) आदेश, 1976 होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 की अनुसूची में क्रम संख्या 44 और उसमें संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि सम्मिलित की जायेगी, अर्थात् --

क्रम संख्या	विनिर्माता का नाम
(1)	(2)
"45	मैंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०, बंगलूर"

[सं० 10-10/75-एस० टी० यू०]

असला आर० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव।